

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/SBM/18/

8272

दिनांक :- 12.11.18

आदेश

अधोस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में निम्नानुसार प्रातः 10.30 बजे बैठक का आयोजन किया जायेगा जिसमें संभाग की समस्त नगरीय निकायों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा होगी:-

क्र.स.	दिनांक	संभाग	स्थान
1.	15.11.2018	अजमेर	सभाकक्ष, गांधी भवन, नगर निगम अजमेर
2.	20.11.2018	कोटा	सभागार, नगर निगम, कोटा
3.	27.11.2018	भरतपुर	सभागार, नगर निगम, भरतपुर

चर्चा के बिन्दु :-

1. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के सभी घटकों की प्रगति, (स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, ODF++ , व स्टार रेटिंग आदि) की समीक्षा
2. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) कार्यों की समीक्षा
3. LED कार्यों की समीक्षा
4. RUIRP कार्यों की समीक्षा
5. MJSA कार्यों की समीक्षा
6. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

गत दिनांक 29.10.2018 से 01.11.2018 तक निदेशालय जयपुर में ली गई बैठक में जो अधिकारी उपस्थित थे उन्हें भी इन बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है इसके अतिरिक्त निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :-

1. नगर निगम से उपायुक्त/अधिशायी अभियंता/संबन्धित सहायक अभियंता (पर्यावरण)
2. नगर परिषद से आयुक्त/अधिशायी अभियंता/संबन्धित सहायक अभियंता (पर्यावरण)
3. नगर पालिका से अधिशायी अधिकारी/कनिष्ठ अभियंता संबन्धित

सभी निकायों को निर्देशित किया जाता है की सम्बन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर, लेपटॉप मय इन्टरनेट कनेक्शन के साथ उपस्थित हो ताकि MIS में किसी प्रकार की त्रुटि को तुरन्त दुरुस्त किया जा सके।

गत दिवसों पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के संदर्भ में ली गई बैठक के क्रम में निम्न वर्णित पूर्ण सूचना के साथ उपस्थित रहे।

1. अनुमोदित व निर्मित IHHL का अन्तर शून्य होना चाहिये।
2. सभी अनुमोदित IHHL आधार से लिंक होना चाहिये।
3. स्टार रेटिंग के लिये सभी निर्धारित प्रक्रिया पूर्व कर निकाय स्वंय के स्तर पर स्टार रेटिंग घोषित करे gfcstarrating.org पोर्टल पर सूचना अपलोड किया जाना है।
4. सभी निकायों को ODF++ होना है, इससे पूर्व ODF व ODF+ की कार्यवाही करनी है। जिसके लिये swachhodefurban.org.in पोर्टल पर सूचना अपलोड किया जाना है।

निदेशालय जयपुर स्तर के अधिकारियों को बैठक में भाग लेने हेतु किराया टैक्सी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। किराये का भुगतान सम्बन्धित नगर निगम, अजमेर/कोटा/भरतपुर द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


sd
(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/ 18/ 22722-828/0

दिनांक :- 12/11/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
4. उपनिदेशक क्षेत्रीय अजमेर/कोटा/भरतपुर।
5. आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी, समस्त नगर निकाय अजमेर/कोटा/भरतपुर।
6. आयुक्त (सम्बन्धित) अजमेर/कोटा/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि बैठक में उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए जल पान व भोजन कि व्यवस्था करनी है तथा निदेशालय जयपुर से आये सभी अधिकारियों व PMU Team के व्यक्तियों के लिए आवश्यकतानुसार रात्रि विश्राम कि व्यवस्था भी करनी है।
7. प्रोग्रामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।


(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता